तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
	भिन्नू प्रसाद बनाम ओमप्रकाश वगैरह T J	
२४।१।१९	वकील वादीगण हाजिर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० ५।२।१९ को पेश हो।	
५।२।१९	वकील वादीगण हाजिर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आशाई [illegible] स्वीकार किया जाता है तथा तदनुसार टी० आई० [illegible] खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी शामिल किया गया। पत्रावली नियमानुसार [illegible] नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
02 / 18	अस्थायी निषेधाज्ञा	09.01.18	05.02.19

सिम्भूदयाल पुत्र जगमोहन आयु 57 साल जाति महाजन निवासी कुडगांव तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। —प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मोती
2. शिवचरण पुत्र मोती
3. गीता पुत्री मोती
4. सीता पुत्र मोती
5. सुनिता पुत्री मोती
6. सरिता पुत्री मोती
7. पुष्पादेवी पत्नि जगदीश
8. पीतमचन्द पुत्र जगदीश
9. गजानन्द पुत्र जगदीश

जातिगण महाजन निवासी कुडगांव तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री शेरसिंह वकील प्रार्थी।

श्री मदनमोहन गुप्ता वकील अप्रार्थी सं0 2 व 9

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम नन्दावटा तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 35 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है तथा संयुक्त रूप से ही फसल काश्त का लाभ लेते चले आ रहे है। मौके पर आज तक किसी प्रकार का बंटवारा नही हुआ है। उक्त आराजी रोड पर स्थित है रोड पर स्थित होने के कारण कीमती है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 उक्त आराजी मे पत्थर डालकर पक्का निर्माण कार्य कर रहे है तथा पक्का निर्माण कार्य करके अपना हक व अधिकार जताना चाहते है। प्रार्थी ने दिनांक 07.01.2018 को अप्रार्थी सं0 1 व 2 से उक्त आराजी का बंटवारा कराने के लिए कहा तो अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने बंटवारा करने से मना कर दिया और कहने लगे कि बंटवारा करना है तो तु कराले हम कोई बंटवारा नही करेगें तथा हमतो निर्माण कार्य करके दुकान बनायेगें। प्रार्थी ने कहा कि तहसील से बंटवारा करा करके दुकान बना लेना लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की एक नही मानी तथा नाराज होकर मौके पर पत्थर डालकर निर्माण कार्य कर रहे है। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 1 तथा 3 ता 8 बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय नही आये है इसलिए इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं0 2 तथा 9 ने उपस्थित न्यायालय होकर जरिये वकील अपना जवाब मय काउन्टर टी. आई. पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी का मौके पर अलग अलग काश्त हो रही है मात्र राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है आराजी का उत्तरी हिस्सा अप्रार्थी सं0 1 ता 9 का है व दक्षिणी हिस्सा तालाब की तरफ का प्रार्थी का है। आराजी मौके पर 30 वर्ष पूर्व से प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 9 के पितागण व मोती के जीवनकाल से बाहमी बंटवारा उनके मध्य हो जाने से अलग अलग काश्त हो रही है और उसी अनुसार फसल का लाभ लते चले आ

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

Scanned by CamScanner

रहे है। जिसकी जानकारी प्रार्थी को 30 वर्ष पूर्व से है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने आराजी मे कोई पक्का निर्माण दुकान नही किया है बल्कि पहले से ही अप्रार्थीगण ने रोड़ की तरफ पत्थर आराजी की बाउण्ड्री करने को डाल रखे है। प्रार्थी ने सारे तथ्य वाद कारण बनाने की बदनियति से असत्य व निराधार दर्ज किये है। प्रार्थी इस दावा व दर0 की आड़ मे अप्रार्थीगण के पिता मोती के हिस्से मे सड़क किनारे आयी भूमि को जो अब कुड़गांव से सपोटरा सड़क मेगा हाईवे हो जाने से भूमि की कीमत बढ जाने से हड़पना चाहते है जिसका प्रार्थी को विधिक अधिकार नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थी ने काउन्टर टी. आई. का जवाब पेश कर कथन किया है कि अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी को 30 वर्ष पूर्व से बाहमी बंटवारा कहकर आया है गलत है प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आज तक कोई बंटवारा नही हुआ है। प्रार्थी का आराजी विवादित के हर इंच पर हिस्सा है। प्रार्थी रोड़ से अपने राजस्व रिकार्ड हिस्सानुसार बंटवारा कराने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण ने जवाब के साथ प्रस्तुत नक्शा मे दर्शायी गयी बैरंगसुख भूमि गलत दर्शायी है। अप्रार्थीगण चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति है जबरन रोड़ की जमीन को कब्जा करके हड़पने पर आमादा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का रोड़ पर एक ही खेत है अप्रार्थीगण ने अपनी मनमर्जी द्वारा डोलमेड लगाकर 2 टुकड़े कर दिये होगें तो प्रार्थी को कोई पता नही है क्योंकि अप्रार्थीगण रोड़ की जमीन पर बिना बंटवारा किये कब्जा करके हड़पना चाहते है। इसलिए नजरी नक्शा रंगो मे पेश किया है वह बिल्कुल गलत है। इसलिए जवाब प्रार्थना पत्र काउन्टर टी आई व नजरी नक्शा खारिज किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम मण्डावरा सम्बत् 2071–74 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजी के संयुक्त खातेदार है और संयुक्त खातेदारी की आराजी पर प्रत्येक हिस्सेदार का उसके हिस्से अनुसार जब तक बंटवारा नही हो जाता है, प्रत्येक इंच पर हिस्सा होता है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी काउन्टर टी आई के समर्थन मे ऐसा कोई पुख्ता दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य पूर्व मे कोई बाहमी बंटवारा हो रहा हो। संयुक्त खातेदारी की आराजी पर प्रत्यके सहखातेदार को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा कराने के हकूक प्राप्त है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। अप्रार्थीगण के तथ्यों को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। इसलिए अप्रार्थीगण को वाद पत्र के निर्णय होने तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने एवं अप्रार्थीगण की काउन्टर टी आई खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण की काउन्टर टी. आई. खारिज की जाती है। अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी ग्राम मण्डावरा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 35 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner